

न्यायालय: दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील  
बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.कमांक-33 / 2011

संस्थित दिनांक-14.11.2011

फाई.नं.-234503002042011

1-श्रीमती निशा सोनवाने पति संतलाल सोनवाने, उम्र-30 वर्ष, जाति कहार,  
2-कुमारी परिधी पिता संतलाल सोनवाने, उम्र-9 माह, जाति कहार,  
नाबालिग वली माँ श्रीमती निशा सोनवाने पति संतलाल सोनवाने, जाति कहार  
दोनों निवासी ग्राम खामी, तहसील केवलारी, जिला सिवनी म.प्र.  
हाल मुकाम-ग्राम उकवा, थाना रूपझर, तहसील बैहर,  
जिला बालाघाट म.प्र.

— — — — — आवेदिकागण

// विरुद्ध //

संतलाल सोनवाने पिता दलसिंह, उम्र-40 वर्ष, जाति कहार,  
निवासी-निवासी ग्राम खामी, तहसील केवलारी,  
जिला सिवनी (म.प्र.)

— — — — — अनावेदक

-----

// आदेश //

(आज दिनांक-28 / 02 / 2018 को पारित)

1- इस आदेश द्वारा आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा-125 द.प्र.सं. दिनांकित 14.11.2011 का निराकरण किया जा रहा है।

2- आवेदिकागण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका क.1 का विवाह दिनांक-18.06.2010 को अनावेदक के साथ हुआ था। विवाह के दो माह तक अनावेदक ने आवेदिका क-1 को ठीक से रखा था। उसके बाद अनावेदक, आवेदिका क.1 को कम दहेज लाने तथा दहेज में मोटरसाईकिल, सोने का छल्ला इत्यादि नहीं लाने को लेकर ताना देता था। अनावेदक, आवेदिका क.1 के साथ मारपीट करता था और उसे खाने के लिए भोजन नहीं देता था। अनावेदक शराब पीकर आवेदिका क01 को मायके जाने के लिए कहता था। अनावेदक के व्यवहार के कारण आवेदिका क.1 उसके मायके ग्राम पानीटोला उकवा में आकर रहने लगी थी। आवेदिका क.1 जनवरी 2011 में उसके ससुराल आई थी, तब अनावेदक एवं उसके परिवारवालों ने आवेदिका क.1 के साथ मारपीट की थी एवं होली पर अनावेदक ने आवेदिका क.1 के साथ अत्यधिक मारपीट की

थी, जिसकी आवेदिका ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनावेदक ने आवेदिका क.1 को प्रताड़ित कर उसे घर से निकाल दिया था। अनावेदक को आवेदिका क.1 के परिवारवालों ने तथा गांव वालों ने समझाया था, परंतु अनावेदक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। आवेदिका क.1 के पास स्वयं के भरण-पोषण का कोई साधन नहीं है और न ही उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। अनावेदक के पास ग्राम खामी में 7.50 एकड़ जमीन है, जिससे उसे 20,000/-रुपये प्रतिमाह की आय होती है। आवेदिका क.1 को स्वयं के भरण-पोषण दवाई इत्यादि के लिए 5,000/-रुपये की आवश्यकता है। आवेदिका क.1 तथा अनावेदक की एक पुत्री भी है, जिसके भरण-पोषण के लिए 1,500/-रुपये का खर्च आता है। आवेदिकागण ने उनके आवेदन की प्रार्थना के अनुसार उन्हें भरण पोषण राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3— अनावेदक द्वारा आवेदिकागण के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर आवेदिकागण के आवेदन के स्वीकृत तथ्य को छोड़कर आवेदन के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए बताया है कि उसकी पूर्व में रामप्यारीबाई से शादी हुई थी। जिससे एक पुत्र भी हुआ था। रामप्यारीबाई, अनावेदक तथा उसके पुत्र को छोड़कर कहीं चली गई है। तब अनावेदक, आवेदिका क.1 की सहमति से उसके साथ निवास करने लगा था। अनावेदक का आवेदिका क.1 के साथ विवाह नहीं हुआ है, आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी नहीं है। दिनांक-18.06.2010 को आवेदिका क.1, अनावेदक के घर आई थी, तब अनावेदक को जानकारी हुई थी कि आवेदिका क.1 को 2-3 माह का गर्भ था। आवेदिका क.1 अनावेदक को बिना बताए घर छोड़कर अपने मायके पानीटोला उकवा चली गई थी और गर्भपात करवा लिया था। अनावेदक ने विशेष कथन में बताया है कि उसकी आवेदिका के साथ पाठशादी हुई थी। अनावेदक को पता चला था कि आवेदिका पूर्व से ही गर्भवती है इस कारण वह अनावेदक को बिना बताए उसके मायके आ गयी थी, तभी से उसके मायके में रह रही है। अनावेदक का आवेदिका क.1 से कोई संबंध नहीं है, ना ही आवेदिका क.1 से कोई संपर्क हुआ है। आवेदिका क.1 उसके मायके में स्वच्छंद जीवन जीती थी। आवेदिका का संबंध उकवा में किसी पुरुष के साथ रहा होगा जिससे उसने गर्भ धारण किया था। आवेदिका ने दिनांक-17.06.2012 को एक पुत्री को जन्म दिया था। आवेदिका क.1 की पुत्री अनावेदक के संसर्ग से नहीं हुई है और आवेदिका जारता का जीवन व्यतीत कर रही है। अनावेदक को परेशान करने की नियत से आवेदिका ने आवेदन प्रस्तुत किया है। अनावेदक ने निवेदन किया है कि आवेदिकागण का आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

4- आवेदन पत्र के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आवेदिका क.01 अनावेदक की विवाहिता पत्नी है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
3. क्या आवेदिकागण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
4. क्या अनावेदक ने आवेदिकागण के भरण पोषण करने में उपेक्षा की है और भरण-पोषण करने से इंकार किया है ?

#### निष्कर्ष के आधार एवं कारण:-

5- समस्त विचारणीय बिन्दु एक दूसरे से संबंधित हैं। साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए उन पर एक साथ विवेचना की जा रही है।

6- आवेदिका निशां सोनवाने आ.सा.01 ने उसके मुख्य परीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं कि अनावेदक आवेदिका को विवाह के दो माह पश्चात से दहेज के लिए परेशान करने लगा था। दहेज में अनावेदक ने आवेदिका से सोने की अंगूठी एवं चेन की मांग की थी। आवेदिका अनावेदक के साथ वर्ष 2011 में नैनपुर डा. सिसोदिया मेडम के पास टेस्ट कराने गयी थी। चिकित्सक ने साक्षी को तीन माह की दवा दी थी। दूसरी बार आवेदिका अनावेदक के साथ चिकित्सक के पास वर्ष 2012 में गयी थी तब चिकित्सक ने साक्षी को गर्भवती होना बताया था। चैकअप के बाद ससुराल आने पर अनावेदक ने आवेदिका से कहा था कि वह गर्भवती कैसे हो गयी है। दवा के पैसे उसके मायके से फोन करके लाने के लिए कहा था। आवेदिका ने पैसे नहीं होने का कहा था तब अनावेदक ने आवेदिका के साथ मारपीट की थी और आवेदिका को घर से निकाल दिया था। घटना के दूसरे दिन आवेदिका उसके मायके उकवा आ गयी थी। अनावेदक के संसर्ग से दिनांक 17.06.2012 को आवेदिका को पुत्री परिधि का जन्म उकवा में हुआ था। अनावेदक ने पुत्री के पैदा होने के बाद उसकी पुत्री के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की है। आवेदिका जैसे तैसे अपना एवं उसकी पुत्री का भरण-पोषण करती है। आवेदिका पुत्री के छोटे होने के कारण मजदूरी का कार्य करने नहीं जाती है। अनावेदक आवेदिका एवं उसकी पुत्री का भरण-पोषण देने में सक्षम व्यक्ति है। अनावेदक के पास सात एकड़ कृषि भूमि है। जिससे वह सालाना दो लाख रुपये आय प्राप्त करता है। आवेदिका को खाना कपड़ा, इधर-उधर का खर्च पांच हजार रुपये एवं उसकी पुत्री का उक्त सामग्रियों का खर्च पंद्रह सौ रुपये होता है। अनावेदक ने आवेदिका एवं उसकी पुत्री को भरण पोषण की राशि देने में उपेक्षा की है। प्रतिपरीक्षण में आवेदिका ने यह

स्वीकार किया है कि उसके विवाह से पूर्व संतलाल की शादी हो चुकी थी। अनावेदक की पहली पत्नी का नाम रामप्यारी है। आवेदिका की संतलाल से दूसरी शादी हुई थी। आवेदिका ने अनावेदक के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आवेदिका उकवा में चना, मुरा की दुकान लगाती है जिससे उसे प्रतिदिन दो सौ-ढाई सौ रुपये प्राप्त होते हैं और वह अपना भरण पोषण कर लेती है। आवेदिका चना मुरा से पांच हजार रुपये महीना कमा लेती है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसकी साक्ष्य का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं हुआ है। साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

7— आवेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्षी गेंदाबाई अ.सा.02 ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक से वर्ष 2010 में ग्राम उकवा में हुआ था। आवेदिका का ससुराल ग्राम चिखली में है। आवेदिका उसके ससुराल में अनावेदक के साथ लगभग एक साल तक रही थी। शादी के एक साल बाद से अनावेदक द्वारा आवेदिका से सोने की अंगूठी एवं गाड़ी की मांग की थी। साक्षी आवेदिका के मायके में पड़ोस में रहती है। आवेदिका ससुराल से मायके आती थी तो साक्षी को बताती थी। साक्षी आवेदिका की शादी में गयी थी। विवाह के एक वर्ष बाद अनावेदक के द्वारा तंग करने के कारण आवेदिका उसके मायके आ गयी थी। अनावेदक के संसर्ग से आवेदिका की पुत्री हुई थी जिसका नाम परिधि है। आवेदिका मजदूरी करके इधर-उधर रहकर मुश्किल से अपना एवं अपनी बच्ची का भरण-पोषण करती है। अनावेदक के पास सात एकड़ कृषि भूमि है। अनावेदक मछली का व्यवसाय करता है। अनावेदक को सालाना ढेड़ लाख रुपये की आय होती है। अनावेदक द्वारा आवेदिकागण का भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि अनावेदक की पहली शादी हो चुकी है। आवेदिका उसकी इच्छा से मायके में रह रही है। अनावेदक का आवेदिका से विधिक विवाह नहीं हुआ है। साक्षी ने इस संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है। संतलाल की पहली पत्नी से एक पुत्र है। साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि आवेदिका मजदूरी करके अपना तथा उसकी पुत्री का भरण-पोषण कर रही है। साक्षी के कथन का प्रतिपरीक्षण में अनावेदक की ओर से खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

8— अनावेदक संतलाल अना.सा.01 ने उसके मुख्य परीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि उसकी रामप्यारी से पूर्व में शादी हुई थी। उसके संसर्ग से एक पुत्र पेरसिंह हुआ था। अनावेदक का रामप्यारीबाई से तालमेल नहीं होने के कारण वह अपने पुत्र को छोड़कर चली गयी थी। पुत्र का लालन-पोषण अनावेदक द्वारा



ही किया गया था। अनावेदक वर्तमान में उसके पुत्र पेरसिंह के साथ निवास करता है। आवेदिका से अनावेदक की जान पहचान होने के कारण वह अनावेदक के घर दो-चार दिन रहकर चली गयी थी। आवेदिका अनावेदक के घर में मेहमान के रूप में रही थी। अनावेदक का आवेदिका से कोई संबंध नहीं रहा है। अनावेदक कोई काम धंधा नहीं करता है उसके पास कोई जमीन नहीं है। वर्तमान में उसे टी.व्ही. की बीमारी है जिसका ईलाज चल रहा है। अनावेदक ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने उसके जवाब दावे में आवेदिका के साथ पाठशादी होने का अभिवचन किया है। अनावेदक ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि आवेदिका उसके घर में एक वर्ष तक पत्नी के रूप में रही थी। अनावेदक विधिवत विवाह कर आवेदिका को अपने साथ लेकर आया था, इसके बाद आवेदिका को प्रताड़ित करने करने लगा था, जिसकी रिपोर्ट आवेदिका ने लिखायी थी। अनावेदक ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह स्वीकार किया है कि उसने आवेदिकागण के भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं की है। अनावेदक ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह पांच-सात हजार रुपये कमा लेता है। अनावेदक ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्र.डी.01 लगा. 06 के मेडिकल दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

9— उभयपक्ष की सम्पूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अनावेदक आवेदिका से दहेज में सोने की अंगूठी एवं चैन मांगता था एवं आवेदिका से दवाई के लिए पैसे मायके से लाने के लिए कहता था। नहीं देने पर अनावेदक ने आवेदिका को मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया है। आवेदिका निशा सोनवाने की इस संबंध में साक्ष्य अखंडित रही है कि अनावेदक द्वारा मारपीट करने के कारण वह मायके में रह रही है। आवेदिका क01 मजबूरन उसके मायके में उसकी पुत्री आवेदिका क02 के साथ निवासरत है। मायके में रहने के दौरान अनावेदक ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली थी। आवेदिकागण का अनावेदक से प्रथक निवास करने का पर्याप्त कारण प्रकट होता है।

10— उभयपक्ष की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अनावेदक के पास कृषि भूमि है। जिससे वह आय प्राप्त करता है। आवेदिका ने अनावेदक की कृषि भूमि से संबंधित किस्तबंदी खतौनी की छायाप्रति प्रस्तुत की है। आवेदिका ने मौखिक साक्ष्य में अनावेदक की दो लाख रुपए वार्षिक आय प्राप्त होना प्रकट किया है जबकि अनावेदक ने अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्य से इंकार कर केवल 100-50/-रुपए मजदूरी के प्राप्त होने का कथन किया है। अनावेदक स्वयं ने उसकी आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और ना ही मौखिक साक्ष्य से आय प्राप्त होने का कथन किया है। ऐसी दशा में यह उपधारणा की जा सकती है कि अनावेदक कृषि से एवं मजदूरी से आय प्राप्त करता है। परंतु आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी नहीं है। अनावेदक की प्रथम विवाहिता

पत्नी रामप्यारी है। आवेदिका स्वयं ने उसकी अनावेदक से शादी होने से पूर्व अनावेदक की पूर्व में शादी हो चुकी थी यह स्वीकार किया है। आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी नहीं है। इस कारण आवेदिका अनावेदक से भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। परंतु आवेदिका क02 परिधि आवेदिका एवं अनावेदक के संसर्ग से उत्पन्न संतान है। आवेदिका क02 नाबालिग है इस कारण वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। इस कारण आवेदिका क02 अनावेदक से भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। अनावेदक अपना एवं उसकी पुत्री का भरण पोषण करने में सक्षम व्यक्ति है। अनावेदक का आवेदिका क02 के भरण-पोषण का विधिक दायित्व है जिससे वह बच नहीं सकता है।

11— सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका क01 को अनावेदक द्वारा घर से निकाल देने के कारण एवं आवेदिका क02 की आयु कम होने के कारण वह उसकी मां आवेदिका के साथ अनावेदक से प्रथक रह रही है। अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिका क02 के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है। इस कारण आवेदिका क02 अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। आवेदिका क02 के रहन-सहन को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका क02 का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि अनावेदक आवेदिका क02 को 1,500/- (एक हजार पांच सौ) रुपये प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि आवेदन पत्र प्रस्तुति दिनांक से अदा करे तथा प्रत्येक आगामी माह के भरण-पोषण की राशि उपरोक्त दर से प्रत्येक माह की अंग्रेजी तारीख-10 तक निरंतर अदा करता रहे। तदनुसार आवेदन निराकृत किया गया।

12— अनावेदक, आवेदिका क.02 का व्यय वहन करेगा।

13— आवेदिका क02 को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर मेरे निर्देश पर टंकित किया।  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(दिलीप सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, बालाघाट म0प्र0

(दिलीप सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, बालाघाट म0प्र0